



कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक संनिशि/स्कूल शिक्षा/बीकासं/बीका/शै0प्र0/खेकू/2020/1785 दिनांक : 27.05.20

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर

विषयः--सत्र 2020-21 में आयोज्य 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन संबंधी प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंगः--निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का पत्र क्रमांक शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वा.प./2020-21 दिनांक 26.05.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में आयोज्य 65 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का वार्षिक खेल पंचाग तैयार किया जाना है। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाने वाले इच्छुक संबंधित संस्था प्रधानों की सहमति के प्रस्ताव अपनी अभिशंषा सहित खेल व समूहों की संकलित सूचना इस कार्यालय को दिनांक 10 जून, 2020 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर उपयुक्त विद्यालयों को उनके प्रस्तावानुसार राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने का निर्णय कर शेष रहे खेलों का आवंटन निदेशालय द्वारा मण्डलवार रोस्टर पद्धति से किया जावेगा।

संलग्न - प्रतियोगिता आयोजन स्थल निर्धारण हेतु बिन्दु।

www.rajteachers.com

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक संनिशि/स्कूल शिक्षा/बीकासं/बीका/शै0प्र0/खेकू/2020/1785

दिनांक : 27.05.20

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ।

01. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
02. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन स्थल निर्धारण हेतु बिन्दु :-

1. प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व बार-बार एक ही विद्यालय को न सौंप कर अन्य विद्यालयों को भी दायित्व सौंपकर राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन का अवसर प्रदान किया जावे । यथासम्भव भिन्न-भिन्न जिलों को अवसर दिया जावे ।
2. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व सौंपने से पूर्व संस्था प्रधान की लिखित सहमति ली जानी आवश्यक है ।
3. प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व सौंपे जाते समय विद्यालय के पास अथवा मुख्यालय पर सम्बद्ध खेल मैदान, खेल उपकरण एवं अन्य जिलों से सड़क अथवा रेल मार्ग से सीधा सम्पर्क हो इसका भी ध्यान रखा जावे ।
4. बैडमिन्टन, टेबल-टेनिस खेलों के लिए आयोजक विद्यालय के मुख्यालय पर आवश्यक हॉल की व्यवस्था एवं तैराकी प्रतियोगिता के लिए मानदण्डानुसार तरणताल की उपलब्धता जिसमें इन खेलों का आयोजन हो सके आवश्यक रूप से होने चाहिए ।
5. छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता केवल छात्रा विद्यालयों को ही आवंटित की जावे ।
6. छात्र व छात्रा वर्ग की कोई भी प्रतियोगिता यदि एक साथ हो तो वह छात्र विद्यालय अथवा छात्रा विद्यालय किसी भी को भी आवंटित की जा सकती है ।
7. जहाँ तक सम्भव हो प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व उसी विद्यालय को सौंपा जावे जिनके पास खेल मैदान व कार्मिकों/खिलाड़ियों के आवास स्थल विद्यालय के नजदीक हों ।
8. कार्मिकों एवं खिलाड़ियों के लिए आवास, पानी-बिजली, शौचालय एवं पुलिस सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था हो ।
9. छात्रा खिलाड़ियों की सुरक्षा, शौचालय, स्नानगृह आदि की अलग से समुचित व्यवस्था हो ।
10. प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय का संस्था प्रधान ही संयुक्त संचालन सचिव का दायित्व वहन करेगा ।
11. प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान का कार्यालय एवं निवास का दूरभाष नम्बर साथ ही संस्था प्रधान व शारीरिक शिक्षक के मोबईल नम्बर भी लिखें ।
12. प्रतियोगिता स्थल के निर्धारण के समय यह ध्यान रखा जावे कि विद्यालय छात्रकोष में पर्याप्त धन राशि हो जिससे कि निदेशालय बीकानेर द्वारा आवंटित राशि पहुँचने तक अग्रिम आवश्यक कार्यवाही/तैयारी की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सके ।
13. प्रतियोगिता स्थल के विद्यालय में संस्था प्रधान एवं शारीरिक शिक्षक का पक्ष रिक्त न हो ।

www.rajteachers.com

(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)
उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर